



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
आयोग भवन, हरिद्वार
Website: www.ukpsc.gov.in

संख्या :: 338 /10/E-3/H.C.S./2017-18

दिनांक :: 17 मार्च, 2021

कार्यालय ज्ञाप / अनर्ह सूची

(मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुवादक, टाईपिस्ट एवं असिस्टेंट लाईब्रेरियन (मुख्य) परीक्षा-2018)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या :: 261/10/E-3/H.C.S./2017-18 दिनांक :: 04 जनवरी, 2021 के माध्यम से अनर्ह सूची प्रकाशित की गयी थी जिसके अनुक्रम में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराये गये हैं। मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारित करते हुए उन्हें अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।

उक्त अभ्यर्थियों की पदवार उनके अनुक्रमांक एवं नाम के सम्मुख उल्लिखित अनर्हता के संबंध में मा0 आयोग के निर्णय सहित सूची निम्नवत् है:-

1. सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु:-

क्र. सं.	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री / श्रीमति / कु0)	मा0 आयोग का निर्णय
1	200140	JEEWAN SINGH BHAKUNI	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 09.07.2020 को जारी ई0डब्ल्यू0एस0 प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है जो कि शुद्धि पत्र सं0 62 दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 के बिन्दु सं0-04 के क्रम में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30.10.2019 के पश्चात् का जारी है। तदक्रम में अभ्यर्थी पूर्ववत् अनर्ह।
2	211746	VINIT SAGAR	अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय को समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। अवगत कराना है कि विज्ञप्ति संख्या 149/10/ई-3/एच.सी.एस./2017-18, दिनांक 18.06.2020 को अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाईन आवेदन-पत्र के प्रिंटआउट के साथ दिनांक 10 जुलाई, 2020 (शुक्रवार) की सांय कार्यालय अवधि समाप्ति से पूर्व तक सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य था। परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2020 आयोग कार्यालय को समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाईन आवेदन-पत्र के प्रिंटआउट के साथ उपलब्ध नहीं कराये गये थे, जिस कारण अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की सन्निरिक्षा नहीं की गई थी। तदक्रम में अभ्यर्थी पूर्ववत् अनर्ह।
3	212114	TARUNA CHAUHAN	अभ्यर्थी के प्रमाणपत्र अंतिम तिथि के बाद पहुंचे है। अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्र विलम्ब से पहुंचने का कारण कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते जसपुर क्षेत्र के डाकघर का कार्यालय बंद होने बताया है। परन्तु अभ्यर्थी द्वारा कोई पुष्ट साक्ष्य अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। तदक्रम में अभ्यर्थी पूर्ववत् अनर्ह।

4	214126	RAJKUMAR	अभ्यर्थी की सेना से डिस्चार्ज की तिथि 31.12.2020 है एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत एन0ओ0सी0 में भी सेना से डिस्चार्ज की तिथि भी 31.12.2020 है जो कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31.12.2018 के पश्चात् की है, तदक्रम में अभ्यर्थी पूर्ववत् अनर्ह।
5	217864	PRIYANKA RAWAT	अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय को समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। अवगत कराना है कि विज्ञप्ति संख्या 149/10/ई-3/एच.सी.एस./2017-18, दिनांक 18.06.2020 को अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाईन आवेदन-पत्र के प्रिंटआउट के साथ दिनांक 10 जुलाई, 2020 (शुक्रवार) की सांय कार्यालय अवधि समाप्ति से पूर्व तक सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य था। परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2020 आयोग कार्यालय को समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाईन आवेदन-पत्र के प्रिंटआउट के साथ उपलब्ध नहीं कराये गये थे, जिस कारण अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की सन्निरिक्षा नहीं की गई थी। तदक्रम में अभ्यर्थी पूर्ववत् अनर्ह।
6	220799	MANOJ KUMAR	अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय को समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। अवगत कराना है कि विज्ञप्ति संख्या 149/10/ई-3/एच.सी.एस./2017-18, दिनांक 18.06.2020 को अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाईन आवेदन-पत्र के प्रिंटआउट के साथ दिनांक 10 जुलाई, 2020 (शुक्रवार) की सांय कार्यालय अवधि समाप्ति से पूर्व तक सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य था। परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2020 आयोग कार्यालय को समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाईन आवेदन-पत्र के प्रिंटआउट के साथ उपलब्ध नहीं कराये गये थे, जिस कारण अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की सन्निरिक्षा नहीं की गई थी। तदक्रम में अभ्यर्थी पूर्ववत् अनर्ह।
7	224548	RANJANA JOSHI	आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 17.06.2020 के बिन्दु संख्या 06 के नोट में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत होम क्वारंटीन आदि की दशा में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से अधिकतम 14 दिवस की शिथिलता आयोग द्वारा प्रदान की जा सकती है। इस विज्ञप्ति में अन्य किसी कारण से शिथिलता प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है। सूच्य है कि इस विज्ञप्ति में ऑनलाईन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 03.07.2020 में किसी भी आधार पर शिथिलता प्रदान किये जाने का प्रावधान वर्णित नहीं है। तदक्रम में अभ्यर्थी पूर्ववत् अनर्ह।

8	232124	PANKAJ SINGH RAWAT	अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय को समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। अवगत कराना है कि विज्ञापित संख्या 149/10/ई-3/एच.सी.एस./2017-18, दिनांक 18.06.2020 को अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाईन आवेदन-पत्र के प्रिंटआउट के साथ दिनांक 10 जुलाई, 2020 (शुक्रवार) की सांय कार्यालय अवधि समाप्ति से पूर्व तक सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य था। परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2020 आयोग कार्यालय को समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाईन आवेदन-पत्र के प्रिंटआउट के साथ उपलब्ध नहीं कराये गये थे, जिस कारण अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की सन्निरिक्षा नहीं की गई थी। अभ्यर्थी द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के दौरान का कोई क्वारन्टीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अभ्यर्थी पूर्ववत् अनर्ह।
9	237444	MANMOHAN RAWAT	मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान हेतु सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुवादक, टाईपिस्ट, सहायक लाइब्रेरियन के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या-01/विज्ञापन/ई-3/2018-19 दिनांक 10.12.2018 को प्रकाशित किया गया था, तथा शुद्धि पत्र संख्या 62/10/ई-3/H.C.S./2017-18 दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण को लागू करते हुए पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी को चुनने का अवसर प्रदान किया गया था तथा यह भी उल्लिखित था कि आरक्षित पदों की संख्या में परिवर्तन एवं सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने के अतिरिक्त विज्ञापन की समस्त शर्तें यथावत रहेंगी। परन्तु इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की अंतिम तिथि में कोई भी शिथिलता प्रदान नहीं की गयी थी। तदक्रम में अभ्यर्थी पूर्ववत् अनर्ह।

2. असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद हेतु:-

क्र. सं.	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री/श्रीमति/कु0)	कार्यालय टीप
1	227528	RAJESH SINGH	असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता Degree in law and Diploma in Library science from a recognized University है। अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुसार उक्तांकित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते हैं। अभ्यर्थी के द्वारा अपने प्रत्यावेदन किसी अन्य आयोग द्वारा विज्ञापित पद का दृष्टांत दिया गया है। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा किसी पद पर चयन की कार्यवाही शासन द्वारा प्रेषित अधियाचन, संगत सेवा नियमावली एवं अन्य संगत अभिलेखों के आधार पर की जाती है। चूंकि अभ्यर्थी विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते हैं। तदक्रम में अभ्यर्थी पूर्ववत् अनर्ह।

3. अनुवादक पद हेतु:-

क्र. सं.	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री / श्रीमति / कु0)	कार्यालय टीप
1	227234	RITESH KUMAR	अवगत कराना है कि अभ्यर्थी द्वारा Post Graduation Diploma in Translation की अंक तालिका एवं उपाधि प्रेषित की गयी है। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित Diploma/Certificate में Translation from Hindi to English and vice versa अंकित नहीं है। तदक्रम में अभ्यर्थी पूर्ववत् अनर्ह।

-SD-
(कर्मन्द् सिंह)
सचिव।